रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 715] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 8, 2018/आश्विन 16, 1940
No. 715] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2018/ASVINA 16, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि सं. 1003(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. लागू होना: ये नियम सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) में संलग्न सूची में सूचीबद्ध स्कीमों के लिए लागू होंगे।

3. परिभाषा: (1) इन नियमों में जब तक कि अन्यथा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) **"लेखा कार्यालय"** से सरकारी बचत बैंक कार्यालय अभिप्रेत है जो खाता खोलने के लिए प्राधिकृत है;

(ख) **"अधिनियम"** से सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;

(ग) **"अर्हक इति शेष"** से खाते में जमा इति शेष रकम है, इसमें, जमाकर्ता द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में यदि कोई बकाया मूलधन और ब्याज के कारण वसूली करने के बाद इस पर प्रोद्भूत ब्याज शामिल है;

(घ) **"प्ररूप"** से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) **"संयुक्त खाता"** से एक से अधिक और चार व्यष्टियों के नाम में खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(च) **"परिपक्व खाता"** से ऐसा खाता अभिप्रेत है जिसकी अवधि या बढ़ाई गई अवधि पूरी हो गई है और भुगतान के लिए देय है;

(छ) **"अनिवासी भारतीय"** से वह व्यष्टि अभिप्रेत है जो भारत का नागरिक हो या भारतीय मूल का व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार 'निवासी' नहीं है;

(ज) **"अधिकारिक रूप से विधिमान्य दस्तावेज"** से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा जारी जॉब कार्ड, नाम और पता का ब्यौरा सहित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र अभिप्रेत है;

(झ) **"खाते का संचालन"** से खाता खोलना, इसमें जमा करना, इसका स्थानांतरण या खाते से आहरण करना अभिप्रेत है;

(ञ) **"पासबुक"** से लेखा कार्यालय द्वारा जारी वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज अभिप्रेत है, इसमें जमाकर्ता का ब्यौरा और उस खाते में किए गए संव्यवहार का ब्यौरा शामिल रहता है;

(ट) **"एकल खाता"** से एक व्यष्टि के नाम में खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(ठ) **"स्थानांतरण"** से जमाकर्ता के खाते का एक लेखा कार्यालय से दूसरे लेखा कार्यालय में स्थानांतरण अभिप्रेत है।

(ड) **"अनुसूची"** से इस नियम में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पक्षों के, जो इसमें प्रयुक्त है, और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

4. खाता खोलने की पात्रता: (1) इन नियमों के अधीन व्यस्क व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, खाता खोलने का पात्र है।

परंतु, यह कि अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति के नाम पर संरक्षक द्वारा खाता खोला जा सकता है।

परंतु, यह भी कि संरक्षक तथा अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति भारत का नागरिक होगा।

(2) अवयस्क जो दस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, बचत योजना के उपबंधों के अनुसार खाता खोल सकता है और संचालन कर सकता है।

(3) यदि एकल खाते में जमाकर्ता या संयुक्त खाते में जमाकर्ताओं में से कोई एक या अवयस्क अथवा विकृतचित्त व्यक्ति का संरक्षक या अवयस्क जमाकर्ता, जैसा भी मामला हो, तत्पश्चात् खाते के प्रचालन के दौरान अनिवासी भारतीय को जाता है, तो खाता इसकी परिपक्वता तक जारी रहेगा और उक्त खाते में जमाकर्ता के लिए उपलब्ध लाभ केवल अप्रत्यावर्तन आधार पर उपलब्ध होगा और खाते को परिपक्वता के पश्चात बढ़ाने या जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यहां तक कि ऐसी अवधि बढ़ाई जानी या इसको जारी रखना अन्यथा अनुमत हो, और इसकी परिपक्वता की तारीख के बाद कोई ब्याज भुगतान योग्य नहीं होगा।

(4) यदि एकल खाते में जमाकर्ता या संयुक्त खाते में जमाकर्ताओं में से कोई एक या अवयस्क अथवा विकृतचित्त व्यक्ति का संरक्षक या अवयस्क जमाकर्ता, जैसा भी मामला हो, भारत का नागरिक नहीं रह जाता है, खाता बंद हो जाएगा या जिस महीने से जमाकर्ता भारत का नागरिक नहीं रह जाता है उसके पहले के महीने की अंतिम तारीख से बंद माना जाएगा।

5. खाता खोलना: (1) जमाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से लेखा कार्यालय जाकर या अनुमेय इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में खाता खोला जा सकता है, इसमें इंटरनेट या समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित सरकारी बचत बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन शामिल हैं।

(2) खाता खोलने के लिए पात्र इच्छुक व्यष्टि निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ लेखा कार्यालय में **प्ररूप 1** में आवेदन देकर ऐसा कर सकता है:-

(क) अवयस्क द्वारा या अवयस्क के नाम पर खाता खोलने के मामले में अवयस्क का आयु प्रमाण;

(ख) वर्तमान पासपोर्ट आकार का फोटो;

(ग) यदि विकृतचित्त व्यक्ति के नाम से खाता खोला जाता है तो मनोरोग अस्पताल के अधीक्षक से प्रमाणपत्र जहां विकृतचित्त व्यक्ति को रखा गया है या उपचार किया जा रहा है, जैसा भी मामला हो;

(घ) पे-इन-स्लिप के साथ निक्षेप रकम; और

(ङ) नियम 6 में विनिर्दिष्ट पहचान संबंधी दस्तावेज।

(3) निरक्षर या दृष्टिहीन या दृष्टिदोष वाला कोई व्यष्टि खाता खोलना चाहता है तो लेखा अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप की प्रमाणिकता के लिए व्यक्तिगत रूप से लेखा कार्यालय जाएगा परंतु उसके साथ ऐसा व्यक्ति होगा जिसे लेखा अधिकारी जानता हो और साक्षर व्यक्ति दृष्टिहीन या दृष्टिदोष वाला जमाकर्ता द्वारा उसके नाम से खाते का संचालन करने के लिए प्राधिकृत हो सकता है।

(4) लेखा कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खाता खोलने (प्ररूप आदि भरने) तथा संचालन करने के लिए निरक्षर जमाकर्ता की सहायता की जाएगी और निरक्षर जमाकर्ता के अंगूठे की छाप की गवाही प्रत्येक आहरण के अवसर पर लेखा कार्यालय को स्वीकार्य स्वतंत्र गवाह द्वारा दी जाएगी।

(5) दृष्टिहीन या दृष्टिदोष वाला अथवा निरक्षर जमाकर्ता साक्षर जमाकर्ता के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है।

(6) स्वलीनता, दिमागी पक्षाघात, मानसिक कमजोरी और बहु नि:शक्तता जैसाकि राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्याय अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 2 में परिभाषित है, संरक्षक के माध्यम से खाता खोल सकता है और संचालन कर सकता है और इसके संबंध में केंद्रीय या राज्य सरकार के चिकित्सा अधीक्षक या सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणपत्र खाता खोलने के समय जमा किया जाएगा।

6. जमाकर्ता की पहचान – (1) नियम 5 के उप-नियम 2 में उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त व्यष्टि को लेखा कार्यालय में निम्नलिखित पहचान संबंधी दस्तावेज जमा करना होगा जिसमें पहचान का प्रमाण और खाता खोलने के प्रयोजन हेतु पता होगा अर्थात:-

(क) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या:

परंतु, यह कि जहां व्यष्टि को आधार संख्या नहीं दी गई है, वह आधार हेतु नामांकन के आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करेगा, और यदि व्यष्टि नामांकन हेतु आवेदन का प्रमाण जमा नहीं करता है, तो वह वर्तमान फोटो के साथ अपनी पहचान और पता का ब्यौरा वाला आधिकारिक विधिमान्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा।

(ख) स्थायी खाता संख्या या आयकर नियम, 1962 में यथापरिभाषित प्ररूप 60:

परंतु, यह कि यदि खाता खोलते समय व्यष्टि स्थायी खाता संख्या जमा नहीं करता है, तो वह खाता खोलने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर लेखा कार्यालय में इसे जमा करेगा और यदि जमाकर्ता जिसने इस अधिसूचना की तारीख से पहले ही खाता खोल लिया है और पहले लेखा कार्यालय को अपना स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं किया है, वह इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर इसे जमा करेगा और छह महीने की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या

प्रस्तुत करने में जमाकर्ता की विफलता की दशा में जबतक वह लेखा कार्यालय में स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं करता उस समय तक उसका खाता का प्रचालन बंद रहेगा;

(ग) कोई अन्य दस्तावेज जिसे लेखा कार्यालय द्वारा अनिवार्य समझा जाए जिसमें जमाकर्ता के कारोबार की प्रकृति का स्वरूप और वित्तीय स्थिति से संबंधित दस्तावेज शामिल है।

(2) यदि जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई आधार संख्या या स्थायी खाता संख्या में वर्तमान पता नहीं है, जमाकर्ता अपने वर्तमान पता वाला आधिकारिक रूप से विधिमान्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा।

परंतु, यह कि यदि जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक रूप से विधिमान्य दस्तावेज में अद्यतन पता न हो, तो पता के प्रमाण के सीमित प्रयोजन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज आधिकारिक रूप से विधिमान्य दस्तावेज माने जाएंगे, अर्थात:-

(i) उपादेयता बिल जो किसी भी सेवा प्रदाता का दो महीने से अधिक पुराना न हो (बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप्ड गैस, पानी बिल); या

(ii) संपत्ति या नगर पालिका कर प्राप्ति; या

(iii) सरकारी विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश, यदि उसमें पता शामिल है; या

(iv) राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के विभागों, कानूनी अथवा विनियामक निकायों, पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास आबंटन का पत्र और सरकारी आवास आबंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ अवकाश एवं अनुज्ञप्ति करार;

परंतु, यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के तीन महीने की अवधि के भीतर जमाकर्ता आधार संख्या या स्थायी खाता संख्या, या अद्यतनकृत वर्तमान पते वाले आधिकारिक विधिमान्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा।

(3) संयुक्त खाता के मामले में, लेखा कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से खाता खोलने वाले सभी जमाकर्ताओं की पहचान संबंधी दस्तावेज प्राप्त किया जाएगा।

(4) यदि अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति के नाम से खाता खोला जाता है, तो लेखा कार्यालय में संरक्षक की पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।

(5) जहां प्राधिकृत एजेंटों के जरिए खाता खोला जाता है, एजेंट अपना हस्ताक्षर संलग्न करेगा और जमाकर्ता के साथ-साथ अपनी पहचान संबंधी दस्तावेजों पर अपनी एजेंसी के ब्यौरा का उल्लेख करेगा।

(6) पता में परिवर्तन के मामले में, जमाकर्ता तीन महीने की अवधि के भीतर उपयुक्त पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिसमें उसका अद्यतन पता हो।

7. जमा का स्वरूप:-

(1) खाते में जमा किया जा सकता है;

(i) भारतीय रुपये में नकद; या

(ii) क्रॉस्ड चैक, डिमांड ड्राफ्ट या लेखा कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के पक्ष में आहरण हेतु भुगतान आदेश; या

(iii) उसी लेखा कार्यालय में खोला गया बचत खाता के संबंध में हस्ताक्षरित आहरण प्ररूप प्रस्तुत करके; या

(iv) वाणिज्यिक बैंकों में इसी प्रकार के संव्यवहार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा।

(2) यदि चैक के माध्यम से जमा किया जाता है, चैक वसूली की तारीख जमा की तारीख होगी।

(3) ऑन लाइन के जरिए की गई जमा को छोड़कर प्रत्येक जमा के साथ सम्यक रूप से भरा हुआ जमा प्ररूप होगा जैसा कि सरकारी बचत बैंक द्वारा निर्धारित किया जाए और जमा प्ररूप का काउंटर फॉइल लेखा कार्यालय द्वारा सम्यक रूप से प्राप्त किया हुआ जमाकर्ता को वापस दिया जाएगा।

(4) जहां जमा आउट स्टेशन चैक या लिखत के माध्यम से किया जाता है, यथाप्रयोज्य संग्रहण प्रभार वास्तविक आधार पर जमाकर्ता द्वारा भुगतान योग्य होगा, जो या तो जमाकर्ता के बचत खाते से डेबिट करके या उचित प्राप्ति के लिए नकद में होगा।

8. खातों के प्रकार:- (1) खाता या तो एकल खाता या संयुक्त खाता के रूप में खोला जा सकता है।

(2) प्रचालन के स्वरूप के आधार पर, संयुक्त खाते दो प्रकार के होंगे, अर्थात:-

(i) **संयुक्त 'क' प्रकार,** इसका प्रचालन सभी जमाकर्ताओं द्वारा या उत्तरजीवित जमाकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है; और

(ii) **संयुक्त 'ख' प्रकार,** इसका प्रचालन किसी जमाकर्ता द्वारा या उत्तरजीवित जमाकर्ताओं द्वारा अलग-अलग किया जाना है।

(3) एकल खाता के रूप में खोला गया खाता बाद में संयुक्त खाता में परिवर्तित या इसके विलोम नहीं किया जा सकता है।

(4) बचत योजना के अधीन एकल खाता में जमाकर्ता उसी बचत योजना के अधीन संयुक्त खाता खोलने का इच्छुक है तो वह ऐसा कर सकता है परंतु उस बचत योजना के लिए प्रयोज्य जमारकम या खातों की संख्या की समग्र ऊपरी सीमा के अधीन हो।

(5) बचत योजना के अधीन संयुक्त खाते में जमाकर्ता उसी बचत योजना के अधीन एकल खाता खोलने का इच्छुक है तो वह ऐसा कर सकता है परंतु उस बचत योजना के लिए प्रयोज्य जमा रकम या खातों की संख्या की समग्र अधिकतम सीमा के अधीन हो।

9. ब्याज का भुगतान: (1) खाते में जमा की गई रकम पर संबंधित बचत योजना के संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित दर के अनुसार ब्याज मिलेगा।

(2) इन नियमों का अतिक्रमण करने पर खोले गए खाते या रखरखाव किए गए, या जमा की गई रकम पर कोई ब्याज भुगतान योग्य नहीं होगा।

(3) ब्याज का परिकलन बचत योजना में उपबंधित तरीके से किया जाएगा।

(4) यदि एकल खाते में जमाकर्ता, या संयुक्त खाते में कोई जमाकर्ता, या संरक्षक या अवयस्क जमाकर्ता अथवा वह जमाकर्ता जो विकृतचित्त हो, अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति के नाम से खोले गए खाते में, जैसा भी मामला हो, बाद में, खाते के प्रचालन के दौरान अनिवासी हो जाता है, इसकी परिपक्वता तक प्रयोज्य दर पर इस खाते में ब्याज लगेगा और परिपक्वता की तारीख के बाद ऐसे खाते में कोई ब्याज भुगतान योग्य नहीं होगा और जमाकर्ता के लिए उपलब्ध लाभ केवल अप्रत्यावर्तनीय आधार पर उपलब्ध होगा।

(5) यदि कोई जमाकर्ता किसी एकल खाते में, अथवा कोई एक जमाकर्ता किसी संयुक्त खाते में, अथवा कोई संरक्षक या अवयस्क जमाकर्ता अथवा ऐसा जमाकर्ता जो विकृतचित्त है, किसी अवयस्क की ओर से अथवा मानसिक कमजोरी से ग्रस्त व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, की ओर से खोले गए खाते में, भारत का नागरिक नहीं रहता है, तो वह खाता उस महीने जिसमें जमाकर्ता भारत का नागरिक नहीं रहा है, से पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन को बंद कर दिया जाएगा अथवा बंद किया गया माना जाएगा और ऐसे खातों पर डाकघर बचत खाते पर प्रयोज्य ब्याज दर उनके बंद होने तक देय होंगी।

(6) कोई ऐसा खाता जो परिपक्व हो चुका है लेकिन बंद नहीं किया गया है, ऐसे खाते में पात्र इति शेष रकम पर डाकघर बचत खाते पर प्रयोज्य दर पर ब्याज अर्जित होता रहेगा जब तक कि खाता बंद नहीं कर दिया जाता।

(7) किसी खाते में भूलवश जमा किया गया कोई भी ब्याज लेखा अधिकारी द्वारा पता लगाए जाने पर तत्काल उत्क्रमित कर दिया जाएगा और इसकी सूचना जमाकर्ता को लिखित रूप में दी जाएगी।

10. वयस्क व्यक्ति के नाम में खोले गए खाते का प्रचालन (1) किसी अवयस्क व्यक्ति के नाम में खोले गए खाते को निम्नलिखित द्वारा प्रचालित किया जाएगा;

(i) संरक्षक द्वारा, यदि खाता संरक्षक द्वारा खोला गया है;

(ii) अवयस्क व्यक्ति द्वारा, यदि खाता अवयस्क व्यक्ति द्वारा खोला गया है;

(2) संरक्षक द्वारा अवयस्क व्यक्ति के नाम में खोले गए खाते के मामले में और यदि खाते को प्रचालित करने के दौरान अवयस्क व्यक्ति वयस्क हो जाता है, तो वह खाता जमाकर्ता द्वारा प्रचालित किया जाएगा और जमाकर्ता लेखा कार्यालय को संशोधित आवेदन के साथ खाता खोलने के नियम **5** के उप-नियम 2 के अधीन अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा तथा वयस्क हो चुके जमाकर्ता के हस्ताक्षर को खाता खोलने वाले संरक्षक द्वारा संशोधित आवेदन पत्र पर सत्यापित किए जाएंगे।

(3) अवयस्क अथवा विकृतचित्त की मृत्यु होने की स्थिति में पात्र इति शेष रकम नामिती को अदा कर दी जाएगी;

परंतु 1 अप्रैल, 2018 से पहले खोले गए खातों के मामले में, जहां नामिती की कोई व्यवस्था अनुमत नहीं थी, शेष रकम संरक्षक को अदा कर दी जाएगी।

(4) संरक्षक की मृत्यु होने की स्थिति में, अनुवर्ती संरक्षक अवयस्क व्यक्ति की ओर से अथवा विकृतचित्त व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, की ओर से खाते को प्रचालित करने के लिए पात्र होगा ।

(11) शारीरिक अंग-शैथिलय से ग्रस्त जमाकर्ताओं अथवा दिव्यांग व्यक्तियों (इनमें स्वालीनता, दिमागी पक्षाघात और मानसिक विक्षिप्तता से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं) द्वारा खाते का प्रचालन –(1) ऐसा जमाकर्ता जो किसी शारीरिक अंग-शैथिल्य से ग्रस्त है अथवा दिव्यांगजन है, जिसकी वजह से वह स्वयं खाते को प्रचालित करने में अक्षम है, खाता खोलने के समय अथवा बाद में किसी साक्षर व्यक्ति के माध्यम से, जिसे वह इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करता है, अपने खाते को प्रचालित कर सकता है और धन आहरित कर सकता है।

परंतु ऐसा प्राधिकरण, जिसके साथ प्राधिकरण की सीमा भी दी गई हो, जमाकर्ता द्वारा लेखा कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया हो जिसके साथ प्राधिकृत व्यक्ति के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर और उसकी फोटो भी हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन दिए गए प्राधिकरण को, जमाकर्ता द्वारा किसी भी समय नया प्राधिकरण प्रस्तुत करके वापस लिया जा सकता है अथवा उसने संशोधन किया जा सकता है:

12. खाते से आहरण- (1) परिपक्वता से हुई आय अथवा आंशिक आहरण या ब्याज के भुगतान के समय, जमाकर्ता प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में, जो उस व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा अथवा अंगूठे का निशान लगाएगा।

(2) अवयस्क व्यक्ति अथवा विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से खोले गए खाते के मामले में, जमाकर्ता की अवयस्कता अथवा विक्षिप्तता, जैसा भी मामला हो, के दौरान किसी आहरण के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संरक्षक को अनुमति दी जा सकती है:

"कि आहरित की जाने वाली रकम श्री/सुश्री जो अवयस्क हैं अथवा विकृतचित्त हैं, के प्रयोग के लिए आवश्यक है और वह आज की तारीख में जीवित है"।

(3) पात्र रकम के आंशिक आहरण का भुगतान अथवा ब्याज का भुगतान नियम 19 के उप-नियम(2) में विनिर्दिष्ट तरीकों में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है।

13. खाते का अंतरण: (1) इन नियमों के अधीन खोले गए खाते को भारत में कहीं भी एक लेखा कार्यालय से दूसरे लेखा कार्यालय में अंतरित किया जा सकेगा, चाहे वह उसी सरकारी बचत बैंक अथवा अन्य के अधीन हो, और ऐसा जिस लेखा कार्यालय में खाता है अथवा जिस लेखा कार्यालय में खाता अंतरित किए जाने का आशय है, वहाँ **प्ररूप 5** में आवेदन प्रस्तुत करके जिसके साथ **अनुसूची-II** में विनिर्दिष्ट विहित फीस का भुगतान किया जाए और पासबुक अथवा मूल रूप में बचत पत्र प्रस्तुत करके किया जा सकता है।

(2) खाता अंतरित किए जाने का आवेदन उस लेखा कार्यालय, जहां खाता अंतरित किए जाने का आशय है, में प्रस्तुत किए जाने के मामले में, उक्त लेखा कार्यालय जमाकर्ता के अनुरोध को उस लेखा कार्यालय को अग्रेषित कर देगा, जहां खाता है ताकि इस मामले में अपेक्षित कार्यवाही की जा सके।

(3) एक सरकारी बचत बैंक से दूसरे बचत बैंक को खाते का अंतरण किए जाने के मामले में, वह लेखा कार्यालय जहां खाता है, ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर तत्काल अंतरण करेगा और अंतरिती लेखा कार्यालय को निम्नलिखित मूल दस्तावेज अग्रेषित करेगा अर्थात्:-

i. खाता खोलने का प्ररूप,
ii. जमाकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर,
iii. नामांकन का विवरण,
iv. पहचान संबंधी दस्तावेज,
v. अद्यतन खाता विवरण अथवा बही,
vi. बचत प्रमाणपत्र के मामले में, बचत प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति,
vii. खाते में जमा शेष रकम के संबंध में भुगतान आदेश अथवा डिमांड ड्राफ्ट।

14. नामांकन: (1) एकल खाते में जमाकर्ता अथवा संयुक्त खाते में जमाकर्ताओं, जैसा भी मामला हो, को एक अथवा अधिक व्यष्टि, किन्तु चार व्यष्टियों से अधिक नहीं, को नामिती के रूप में नामांकित किया जाए, जो एकल खाते में जमाकर्ता अथवा संयुक्त खाते में सभी जमाकर्ताओं के देहान्त होने की स्थिति में पात्र इति शेष रकम प्राप्त करने का हकदार होगा। यह नामांकन **प्ररूप 10** में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराते हुए खाता खोलने के समय किया जाना चाहिए:

(क) नामिती(यों) का नाम;

(ख) प्रतिशत भाग जिसे प्रत्येक नामिती प्राप्त करने का हकदार होगा;

(ग) क्या नामिती संपूर्ण स्वामित्व और विशेषाधिकार के साथ हिताधिकारी के रूप में, अथवा जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी के लाभ के लिए एक संरक्षक के रूप में रकम प्राप्त करेगा।

(2) जहां नामिती अवयस्क हो, नामिती की अवयस्कता के दौरान जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में पात्र इति शेष का भुगतान पाने के लिए **प्ररूप 10** में आवश्यक ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए जमाकर्ता नामांकन करते समय एक व्यष्टि नियुक्त करेगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन किए गए नामांकन को खाते की परिपक्वता से पहले कभी भी जमाकर्ताओं द्वारा पासबुक के साथ, लेखा कार्यालय को **प्ररूप 10** में आवेदन करते हुए बदला जा सकता है।

(4) अवयस्क अथवा विकृतचित्त व्यक्ति के नाम पर खातों को छोड़कर, 01 अप्रैल, 2018 से पूर्व खोले गए उन खातों के मामले में, जहां कोई नामांकन नहीं किया गया है, जमाकर्ता को नामांकन तुरंत करना चाहिए और किसी भी हाल में, खाते के परिपक्व होने से पहले तो करना ही चाहिए।

(5) एक अवयस्क द्वारा खोले गए अथवा अवयस्क या विकृतचित्त की ओर से खोले गए खाते के मामले में, जैसा भी मामला हो, संरक्षक द्वारा नामांकन किया जाना चाहिए, जो इस संबंध में स्वयं समेत किसी भी व्यष्टि को नामांकित कर सकता है:

परंतु यह कि 01 अप्रैल 2018 से पूर्व खोले गए ऐसे खातों के संबंध में कोई नामांकन अनुमत्य नहीं होगा और जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, ग्राह्य रकम का भुगतान संरक्षक को किया जाएगा।

(6) उप-नियम (1) के अधीन किया गया कोई भी नामांकन निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त हो जाएगा, अर्थात्:

i. सभी नामितियों की मृत्यु;

ii. नियम 16 के अधीन प्रतिभूति के रूप में खाते का अंतरण;

(7) उप-नियम (6) में बताई गई परिस्थितियों के अधीन नया नामांकन किया जाना आवश्यक होगा।

(8) उप-नियम (1) तथा (7) के अधीन नामांकन करते समय अथवा उप-नियम (3) के निंबधनों में नामांकन में परिवर्तन करते समय अशिक्षित जमाकर्ता के अंगूठे के छाप का सत्यापन दो गवाहों द्वारा किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ साक्षर जमाकर्ता के मामले में किसी भी गवाह द्वारा सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

15. जमाकर्ता की मृत्यु होने पर भुगतानः

(1) एकल खाते के जमाकर्ता की मृत्यु अथवा संयुक्त खाते में सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु होने की स्थिति में, खाते में पात्र इति शेष उप-नियमों (2) से (6) तक यथाविनिर्दिष्ट देय होगी।

(2) यदि नियम 14 के अधीन किया गया नामांकन एकल खाते के जमाकर्ता अथवा संयुक्त खाते के सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के समय प्रवृत्त है, तो नामिती पात्र इति शेष के भुगतान के लिए लेखा कार्यालय में **प्ररूप 11** में आवेदन कर सकता है और इस आवेदन के साथ जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण संलग्न होना चाहिए और जहां अन्य किसी नामिती की भी मृत्यु हो गई हो तो उस नामिती की मृत्यु का प्रमाण संलग्न होना चाहिए।

(3) यदि दो या उससे अधिक नामिती जीवित हैं, तो पात्र इति शेष जमाकर्ता द्वारा नामांकन करते समय यथाविनिर्दिष्ट अनुपात में अदा की जाएगी, और यदि ऐसा कोई अनुपात अथवा भाग विनिर्दिष्ट नहीं है तो सभी जीवित नामितियों को समान अनुपात में भुगतान किया जाएगा।

(4) यदि किसी नामिती की मृत्यु हो जाती है तो पात्र इति शेष में उसके विनिर्दिष्ट भाग को जीवित नामितियों के बीच उसी अनुपात में बांटा जाएगा जो उनके भाग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(5) जहां जीवित नामिती अवयस्क है, तो भुगतान प्राप्त करने के लिए नियम 14 के उप-नियम (2) के अधीन जमाकर्ता द्वारा नियुक्त व्यक्ति को वह भुगतान किया जाएगा और यदि ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है तो यह भुगतान अवयस्क के संरक्षक को किया जाएगा।

(6) यदि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय कोई नामांकन प्रवृत्त नहीं है तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) में यथा प्रदत्त उसकी वसीयत का प्रमाण अथवा उसकी संपदा के प्रशासन के पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र लेखा कार्यालय, जहां खाता है वहीं के प्राधिकृत अधिकारी को जमाकर्ता की मृत्यु से छह माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किए जाते है, तो-

(i) यदि खाते में पात्र रकम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो लेखा कार्यालय का प्राधिकृत अधिकारी अथवा संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकरण जिससे लेखा कार्यालय संबंधित है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को उस रकम का भुगतान निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्ररूप-11 में किए गए आवेदन पर कर सकता है जो उसके समक्ष असली दावेदार के रूप में प्रकट होता है और उसकी संतुष्टि के अनुसार रकम प्राप्त करने अथवा मृतक की संपदा को प्रशासित करने का हकदार हैः

(क) मृत्यु प्रमाणपत्र,

(ख) पास बुक अथवा मूल जमा रसीद/खाते का विवरण,

(ग) प्ररूप-13 में शपथपत्र,

(घ) प्ररूप-14 में दावा त्याग पत्र,

(ङ) प्ररूप-15 में क्षतिपूर्ति बांड।

(ii) परंतु, यदि मृतक के खाते में पात्र रकम 5 लाख रुपए से अधिक है, तो लेखा कार्यालय द्वारा दावेदार को रकम का भुगतान निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ न्यायालय द्वारा जारी 'उत्तराधिकार प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने पर किया जाएगा;

(क) दावा प्ररूप,

(ख) पास बुक अथवा मूल जमा रसीद अथवा खाते का विवरण,

(ग) खाताधारक का मृत्यु प्रमाणपत्र।

16. खाता गिरवी रखनाः (1) जहां बचत स्कीम का उपबंध ऐसी अनुमति देता है, गिरवीदार की ओर से स्वीकृति पत्र के साथ जमाकर्ता द्वारा **प्ररूप 7** में किए गए आवेदन पर, खाता प्रतिभूति के तौर पर गिरवी रखा जा सकता है अथवा अंतरित किया जा सकता है।

(2) इस नियम के अधीन खाते का अंतरण इनको किया जा सकता है-

(क) भारत के राष्ट्रपति अथवा अपनी आधिकारिक क्षमता में राज्य का राज्यपाल,

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक अथवा एक अनुसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक सहित सहकारी

संस्था;

(ग) सार्वजनिक अथवा निजी निगम अथवा सरकारी कंपनी;

(घ) स्थानीय प्राधिकरण; या

(ङ) राष्ट्रीय आवासीय बैंक द्वारा अनुमोदित और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित आवासीय वित्त कंपनी।

परंतु, अवयस्क अथवा विकृतचित्त की ओर से खोले गए खाते के अंतरण को इस नियम के अधीन अंतरित किए जाने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि अवयस्क अथवा विकृतचित्त, जैसा भी मामला हो, का संरक्षक लिखित में यह प्रमाणित न कर दे कि अवयस्क अथवा विकृतचित्त जीवित है और यह अंतरण उस अवयस्क अथवा विकृतचित्त के लाभार्थ है।

(3) जब कोई खाता उप-नियम (1) के अधीन प्रतिभूति के तौर पर अंतरित किया जाता है, प्राधिकृत अधिकारी बचत प्रमाणपत्र सहित खाते के अभिलेख में निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात-

".....को प्रतिभूति के रूप में अंतरित"।

(4) इस नियमों में अन्यथा उपबंध किए जाने के सिवाय, इस नियम के अधीन खाते के अंतरिती को, जब तक उप-नियम (5) के अधीन वापस पुनः अंतरित न कर दिया जाए, जमाकर्ता ही माना जाएगा।

(5) इस नियम के अधीन अंतरित खाता अंतरिती के लिखित प्राधिकार पर, प्राधिकृत अधिकारी की लिखित में पिछली स्वीकृति से वापस पुनः अंतरित किया जा सकता है और जब इस तरह का कोई पुनः अंतरण किया जाता है, तो लेखा कार्यालय का प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणपत्र सहित, खाते के अभिलेख में निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात-

".....को पुन: अंतरित"

(6) नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से अक्षम निःशक्तजन जो खाते का संचालन करने में असमर्थ है। अपनी जमा रकम किसी भी साक्षर व्यष्टि, जिसको उसने नियम 11 के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किया है, के माध्यम से गिरवी रख सकता है।

17. सेना, वायुसेना तथा नौसेना कार्मिक द्वारा धारित खाते में पात्र इति शेष का भुगतानः (1) नियम 14 और 15 में किसी बात के होते हुए भी, यदि सेना, वायुसेना अथवा नौसेना में सेवारत जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है या वह सेवा छोड़ता है; सैन्य-दल, विभाग, सेना की टुकड़ी, यूनिट अथवा पोत, जिससे जमाकर्ता संबंधित है, का कमांडिंग अधिकारी अथवा समायोजन समिति, जैसा भी मामला हो, जहां जमाकर्ता का खाता है वहां के लेखा कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी को कमांडिंग अधिकारी अथवा समायोजन समिति को पात्र इति शेष के भुगतान के लिए अनुरोध भेज सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अनुरोध सेना तथा वायुसेना (निजी संपत्ति का व्यसन) अधिनियम, 1950 (1950 का 40) के मामले में धारा 3 अथवा धारा 4 के अधीन किया जा सकता है यदि जमाकर्ता क्रमशः सेना अथवा वायुसेना से संबंधित है, या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 171 अथवा धारा 1972 के अधीन किया जा सकता है यदि जमाकर्ता नौसेना से संबंधित है।

(3) लेखा कार्यालय का प्राधिकृत अधिकारी इस प्रकार के अनुरोध का पालन करने के लिए बाध्य है, भले ही नामांकन जमाकर्ता की मृत्यु अथवा सेवा त्याग के समय किसी भी व्यक्ति के पक्ष में प्रवृत्त हो।

18. पासबुक का निर्गमः (1) खाता खोलने पर, जमाकर्ता को लेखा कार्यालय द्वारा बचत स्कीम पर यथा लागू पासबुक अथवा जमा रसीद अथवा खाता विवरण जारी करना होगा और उस पासबुक अथवा जमा रसीद अथवा खाता विवरण में निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए; अर्थात्

(क) उपभोक्ता पहचान संख्या;
(ख) लेखा कार्यालय का नाम व पता,
(ग) प्रणाली द्वारा जनित अनन्य खाता संख्या,
(घ) स्कीम का नाम,
(ङ) जमाकर्ताओं के नाम और पते,
(च) खाता का प्रकार (एकल अथवा संयुक्त-ए अथवा संयुक्त-बी अथवा अवयस्क अथवा प्राधिकृत)
(छ) जमारकम,
(ज) जमारकम की तारीख, विस्तार की तारीख तथा परिपक्वता की तारीख,
(झ) नामांकन रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख।

(2) पासबुक अथवा जमा रसीद अथवा खाते के विवरण पर लेखा कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से मुहर लगाई गई और हस्ताक्षर किया होना चाहिए।

(3) यदि पासबुक अथवा जमा रसीद अथवा खाता विवरण जमाकर्ता के पास से गुम अथवा चुरा लिया जाता है, तो लेखा कार्यालय को एक आवेदन और विहित फीस के भुगतान पर अनुकृति पासबुक अथवा जमा रसीद अथवा खाता विवरण जारी किया जा सकता है।

(4) यदि इन नियमों के जारी होने से पहले जारी हो चुका बचत प्रमाणपत्र गुम हो जाता है अथवा चुरा लिया जाता है अथवा विकृत या कट-फट जाता है, तो विहित फीस का भुगतान तथा क्षतिपूर्ति बांड भरकर जमाकर्ता द्वारा आवेदन के साथ विकृत हुए प्रमाणपत्र को अभ्यर्पित करने पर एक अनुकृति पासबुक जारी की जाएगी।

(5) पासबुक अथवा जमा रसीद अथवा खाता विवरण अथवा प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, में किसी भी अपुष्ट प्रविष्टियों के परिणामों के लिए लेखा कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

19. खाता बंद करनाः (1) खाते को बंद करने की अनुमति इसके परिपक्व होने पर ही दी जाएगीः

परंतु खाते को परिपक्व होने से पूर्व बंद करने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी यदि बचत स्कीम में इसका उपबंध हो और ऐसा करना उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन हो।

(2) उप-नियम (1) के अधीन पात्र इति शेष का भुगतान जमाकर्ता(ओं) अथवा संरक्षक अथवा नामिती अथवा विधिक उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा विकल्प चुनने पर निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से किया जाएगा, अर्थात:

(क) प्राप्तकर्ता के बैंक बचत खाते में अंतरण,
(ख) क्रास चेक से,
(ग) यदि रकम इस संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन विहित सीमा से कम है, तो नकद भुगतान से।

(3) खाते को परिपक्वता-पूर्व बंद किया जाना बचत स्कीम के उपबंधों के अनुसार अनुमेय होगा।

20. ऋण तथा आंशिक आहरणः (1) ऋण तथा खाते में से आंशिक आहरण की अनुमति वहीं होगी जहां बचत स्कीमों के उपबंधों के अधीन अनुमेय है और ऐसा करना उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन है।

(2) यदि खाता अवयस्क अथवा विकृतचित्त की ओर से खोला गया है, तो संरक्षक को ऋण अथवा आंशिक आहरण की अनुमति निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी, अर्थात:

"प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमार/कुमारी.....जो अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति/शारीरिक निःशक्तता की वजह से अपने खाते का परिचालन करने में असमर्थ हैं और आज.....(माह).....(वर्ष)..... के दिन जीवित हैं, के उपयोग तथा कल्याण के लिए रकम आहरित की जानी वांछित है।"

(3) यदि खाता नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन अवयस्क द्वारा खोला गया है, तो ऋण अथवा आंशिक आहरण अवयस्क को अनुमेय होगा।

(4) नेत्रहीनता सहित, शारीरिक अंग-शैथिल्य से ग्रसित जमाकर्ता, जिसके कारण वह अपने खाते का परिचालन करने में असमर्थ है, जमाकर्ता नियम 11 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यष्टि के माध्यम से ऋण अथवा आंशिक आहरण की सुविधा प्राप्त कर सकता है।

21. अधिक भुगतान की गई रकम की वसूली: कोई रकम जो देय नहीं है परन्तु भूलवश जमाकर्ता, संरक्षक, नामिती अथवा जमाकर्ता द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति को अदा कर दी गई है, सरकार द्वारा ठीक उसी प्रकार वसूलनीय होगी जिस प्रकार उस जमाकर्ता, संरक्षक, नामिती अथवा अन्य किसी प्राधिकृत व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, से भू राजस्व की बकाया रकम वसूली जाती है।

22. परिचालन के लिए प्ररूप: खाता खोलने और उसके परिचालन के लिए निर्धारित प्ररूप अनुसूची-I में दिए गए हैं।

23. सेवाओं के लिए फीस: (1) इन नियमों की अनुसूची-II में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न सेवाएं देने के लिए फीस प्रभार लगेगा।

24. लेखा कार्यालय के दायित्व: (1) लेखा कार्यालय निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा-

(क) खाता खोलना, जमा रकम स्वीकार करना, भुगतान करना, इन नियमों के अधीन खाता बन्द और अंतरित करना तथा उसके अभिलेख का अनुरक्षण करना;

(ख) इन नियमों तथा बचत स्कीमों के उपबंधों में यथाप्रदत्त सेवाओं और सुविधाओं को जमाकर्ता को उपलब्ध कराना।

(2) लेखा अधिकारी उन आंकड़ों, रिपोर्टों, सूचना, दस्तावेजों और साक्ष्यों को प्रस्तुत करेगा जो अभिलेखों के निरीक्षण, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी खाते के संबंध में जरूरी समझा जाएगा, के लिए आवश्यक हों और निरीक्षण को सुसाध्य बनाएं।

(3) लेखा अधिकारी, इन नियमों और विभिन्न बचत स्कीमों के उपबंधों की पूर्ति और जमाकर्ताओं द्वारा डिजीटल संव्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकिय अवसंरचना सृजित करेगा।

(4) यदि किसी भी चरण पर यह पाया जाता है कि नियमों का उल्लंघन करके खाता खोला गया है अथवा रकम जमा की गई है, तो लेखा कार्यालय तत्क्षण खाता बंद करेगा और बिना किसी ब्याज के जमा रकम वापस लौटा देगा।

(5) यदि अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम का कार्यान्वयन न करने अथवा गलत कार्यान्वयन के कारण सरकार को कोई हानि उठानी पड़ती है अथवा देनदारी उत्पन्न होती है, तो संपूर्ण देनदारी को वहन करने की जिम्मेदारी संबंधित सरकारी बचत बैंक की होगी।

(6) निम्नलिखित परिस्थितियों में दायित्व लेखा कार्यालय में निहित नहीं होगा, अर्थात:

पासबुक अथवा बचत प्रमाणपत्र अथवा चेकबुक जमाकर्ता के पास होते हुए भी इनको अपने कब्जे में लेकर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से आहरण करता है, और जहां लेखा कार्यालय ने ऐसा भुगतान करते समय यथोचित परिश्रम किया हो तथा सावधानी बरती हो।

(क) खाते के परिचालन के संबंध में उसकी ओर से कार्य करने के लिए जमाकर्ता द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति अथवा अभिकर्ता द्वारा किया गया कोई भी, किसी प्रकार का कार्य।

(ख) लेखा कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विश्वास व सद्भाव में किया गया कोई कार्य।

25. पुराने नियमों का लागू होना: इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से पहले, किसी भी बचत स्कीम से संबंधित प्रश्न अथवा मामले पर डाकघर बचत बैंक सामान्य नियम, 1981 के उपबंध लागू होंगे।

26. निरसन और व्यावृत्ति: (1) डाकघर बचत बैंक सामान्य नियम, 1981; डाकघर बचत प्रमाणपत्र नियम, 1960; तथा लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 एतदद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(2) इस निरसन के होते हुए भी, निरस्त किए गए नियमों के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के समनुरूपी उपबंधों के अधीन की गई मानी जाएगी।

27. निर्वचन: इन नियमों अथवा बचत स्कीम के किसी नियम अथवा उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो उसकी निर्वचन करने का सक्षम प्राधिकार आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पास होगा और वह व्याख्या अंतिम तथा बाध्यकारी होगी।

28. छूट देने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होती है कि इन नियमों के किसी भी नियम के परिचालन अथवा बचत स्कीमों के किसी भी उपबंध के कारणवश खाते के जमाकर्ता अथवा जमाकर्ताओं को असम्यक कठिनाई का सामना करना पड़ा है, तो उन कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए, वह आदेश द्वारा, उस तरीके से उपबंध की अपेक्षाओं में छूट दे सकती है जिससे अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगति उत्पन्न न हो।

[फा. सं. 2/12/2006–एनएस]

अरविंद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

****

सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम, 2018

अनुसूची-I

खाते के परिचालन हेतु उपयोग किए जाने वाले प्ररूप

1.	जीएसपीआर-1	खाता खोलना
2.	जीएसपीआर-2	जमा पर्ची
3.	जीएसपीआर-3	ऋण/आहरण प्ररूप
4.	जीएसपीआर-4	पासबुक
5.	जीएसपीआर-5	खाता अंतरण हेतु आवेदन
6.	जीएसपीआर-6	खाता विस्तार हेतु आवेदन
7.	जीएसपीआर-7	खाता गिरवी रखने हेतु आवेदन
8.	जीएसपीआर-8	परिपक्वता-पूर्व खाता बंद करने हेतु आवेदन
9.	जीएसपीआर-9	अंतिम आहरण व बंद करने हेतु आवेदन
10.	जीएसपीआर-10	नामांकन करने अथवा नामांकन में परिवर्तन/निरस्त करने हेतु आवेदन
11.	जीएसपीआर-11	दावा प्ररूप (मृत)
12.	जीएसपीआर-12	खाते के परिचालन के प्राधिकार हेतु प्ररूप
13.	जीएसपीआर-13	शपथपत्र
14.	जीएसपीआर-14	अस्वीकरण पत्र
15.	जीएसपीआर-15	क्षतिपूर्ति बांड

सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम, 2018

अनुसूची- II

सेवाओं के लिए प्रभारित फीस

(क) (i) प्रतिलिपि पासबुक का निर्गम - 50 रु.

(ii) खाता विवरण अथवा जमा रसीद का निर्गम - प्रत्येक के लिए 20 रु.

(iii)गुम हो चुकी अथवा विकृत हो चुके प्रमाणपत्र के बदले पासबुक का निर्गम - 10 रु. प्रति रजिस्ट्रीकरण

(ख) नामांकन का निरसन अथवा उसमें परिवर्तन - 50 रु.

(ग) खाता अंतरण - 100 रु.

(घ) खाते की गिरवी रखना - 100 रु.

(ङ) बैंक बचत खाते में चेकबुक का निर्गम - कैलेण्डर वर्ष में 10 चेक लीफ तक के लिए कोई शुल्क नहीं और तत्पश्चात 2 रु. प्रति लीफ

(च) चेक अस्वीकार किए जाने का प्रभार - 100 रु.

सेवा प्रभारों के ऊपर यथालागू कर भी देय होगा।

प्ररूप-1

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 5 देखें)

राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन

सेवा में,

डाकपाल/प्रबंधक

.....

.....

महोदय,

मैं/हम .....(आवेदक/संरक्षक) ---------- के अधीन (स्कीम का नाम) आपके डाकघर/बैंक में खाता खोलने के लिए आवेदन करते हैं।

मैं/हम ..... नकद/चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं..... तारीख .....में एतद्वारा आरंभिक जमा के रूप में (▪ .....) जमा करते हैं। मेरा/हमारा विवरण निम्नानुसार है:-

1. पहला जमाकर्ता का नाम

.....

पति/पिता/माता का नाम .....

जन्म तिथि ....

(दिन /महीना/ वर्ष)

(शब्दों में).....

2. दूसरा जमाकर्ता का नाम .....

पति/पिता/माता का नाम .....

जन्म तिथि ....

(दिन /महीना/ वर्ष)

(शब्दों में).....

3. तीसरा जमाकर्ता का नाम .....

पति/पिता/माता का नाम .....

जन्म तिथि ....

(दिन /महीना/ वर्ष)

(शब्दों में).....

4. आधार संख्या

.....

5. स्थायी खाता संख्या .....

6. वर्तमान पता

.....

.....

स्थायी पता

.....

.....

7. संपर्क का ब्यौरा टेलीफोन नंबर.....

मोबाइल नंबर.....

ई-मेल आईडी.....

8. खाता का प्रकार एकल/संयुक्त/अवयस्क के लिए संरक्षक के जरिए/ विकृतचित्त/दृष्टिहीन/दिव्यांग व्यक्ति के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के जरिए

9. जन्म प्रमाणपत्र का ब्यौरा .....

(अवयस्क और सुकन्या समृद्धि खाता के मामले में लागू)

a) प्रमाणपत्र सं.

.....

b) जारी करने की तारीख

.....

c) जारीकर्ता प्राधिकारी)

.....

10. संरक्षक का नाम (प्राकृतिक/विधिक) .....

(यदि खाता अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति के नाम से खोला जाता है)

11. माता-पिता/संरक्षक का आधार सं. .....

(प्रति संलग्न करें)

(b) स्थायी खाता सं.

.....

12. अन्य संलग्न केवाईसी दस्तावेजों का ब्यौरा 1. पहचान का प्रमाण

.....

2. पता का प्रमाण

.....

(पहचान और पता के प्रमाण के प्रयोजन के लिए आधिकारिक रूप से विधिमान्य दस्तावेजों के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं: 1. पासपोर्ट 2. ड्राइविंग लाइसेंस 3. मतदाता पहचान पत्र 4. पैन कार्ड 5. आधार कार्ड 6. राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड)

13. खाता का संचालन होगा:- (क) सभी धारकों या उत्तरजीवित धारक/धारकों द्वारा एक साथ

(संयुक्त खाता के मामले में) (ख) किसी एक धारक/धारकों, या उत्तरजीवित

जमाकर्ता/जमाकर्ताओं द्वारा

14. मेरा/हमारा नमूना हस्ताक्षर

1.....2..... 3.,.....

(नाम).....

1..... 2.....3.....

(नाम).....

1..... 2..... 3.....

(नाम).....

मैं स्कीम के उपबंधों और राष्ट्रीय बचत स्कीम पर लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 और समय-समय पर इसमें जारी संशोधनों का अनुपालन करने का वचन दे हूं।

आवेदक/संरक्षक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

तारीख:.....

15. मैं आज की तारीख में देश में किसी डाकघर/बैंक में विभिन्न राष्ट्रीय बचत स्कीमओं के अधीन अपने मौजूदा खाते के ब्यौरे की घोषणा करता हूं।

क्र.सं.	स्कीम का नाम	खाता खोलने की तारीख	जमा की गई राशि	ग्राहक पहचान सं.	खाता सं.	डाकघर/बैंक का नाम
1.	लोक भविष्य निधि					
2.	सुकन्या समृद्धि खाता					
3.	राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता					
4.	वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम					

नामांकन

16. मैं/हम.....नीचे उल्लिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामित करता हूं/करते हैं जिसे/जिन्हें मेरी मृत्यु होने पर अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर मेरी मृत्यु के समय मेरे नामे पड़ी राशि का .....(स्कीम का नाम) को भुगतान योग्य होगा।

क्र.सं.	नामित का नाम और संबंध	पूरा पता	नामित का आधार सं.	अवयस्क के मामले में नामित की जन्म तिथि	हकदारी का हिस्सा	हकदारी का स्वरूप न्यासी या स्वामी

चूंकि ऊपर विनिर्दिष्ट क्र.सं. ..... पर नामित अवयस्क है/हैं, मैं श्री/श्रीमति/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी..... ..... को नामित/नामितों के अवयस्क रहने के दौरान मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में उक्त खाते में देय राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूं।

1. गवाह का हस्ताक्षर.....

नाम और पता.....

2. गवाह का हस्ताक्षर .....

नाम और पता .....

आवेदक/संरक्षक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान:
तारीख:

डाकघर/बैंक के उपयोग हेतु

तारीख.....को.....के नाम पर .....(स्कीम का नाम) खाता संख्या के अधीन ▪ .....आरंभिक जमा के साथ खाता संख्या_____ तारीख_____. को खोला गया। ग्राहक पहचान संख्या ..... तारीख.....की संख्या ..... द्वारा नामांकन का रजिस्ट्रीकरण किया गया।

सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर और मोहर

प्ररूप-2

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 5 देखें)

भुगतान पर्ची

जमा (काउंटर फॉइल)	जमा (भुगतान)
बचत स्कीम का नाम.....	बचत स्कीम का नाम..... .....
डाकघर/बैंक शाखा का नाम	डाकघर/बैंक शाखा का नाम

<table>
<tr><td colspan="2">...</td><td colspan="2">..</td></tr>
<tr><td colspan="2">खाता सं.:
…………………….........................
.</td><td>खाता सं..
………………………........</td><td>तारीख :
……………………....................</td></tr>
<tr><td colspan="2">तारीख :
…………………….............................</td><td colspan="2">के नामे प्रदत्त
……………………….…………………………….……….............</td></tr>
<tr><td colspan="2">के नामे
प्रदत्त..</td><td colspan="2" rowspan="2">रुपये शब्दों
में………………...
....
....
....
रुपये आंकड़ों
में……………………………………………………....................
....
जमा /वापसी/ किए जाने के लिए
फीस..</td></tr>
<tr><td colspan="2">रुपये..
जमा /वापसी/ किए जाने के लिए
फीस.............................</td></tr>
<tr><td rowspan="2">चैक द्वारा
सं.……………
तारीख:............
....
पर
आहरित...........
......
....
....
....
............</td><td>नकद
विवरण</td><td>चैक सं. द्वारा
……….........तारीख...............
....
पर आहरित…...........................
..........................</td><td>नकद का विवरण :
……………………...................
........................</td></tr>
<tr><td>जमाकर्ता का नाम और पता
....
....
....
....
..................</td><td colspan="2" rowspan="2">जमाकर्ता का
नाम..पता..............................
....
....संपर्क.......................................
हस्ताक्षर................................</td></tr>
<tr><td rowspan="2">सील/तारीख मुहर</td><td>(नकदीकरण के अधीन)</td></tr>
<tr><td>एसबी
सहायक/रोकड़िया.........
....................................</td><td>सील/तारीख मुहर</td><td>एसबी सहायक/रोकड़िया
…………………………….........</td></tr>
</table>

प्ररूप-3

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 20 देखें)

ऋण/आहरण के लिए आवेदन

सेवा में,
डाकपाल/प्रबंधक
.....
.....

महोदय,

मैं/हम .....(आवेदक/संरक्षक) मेरे/हमारे खाते से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ऋण/आहरण का आवेदन करते हैं।

स्कीम का नाम:.....

खाता संख्या:.....

आवेदन किया गया ऋण/आहरण की राशि.....

*प्रमाणित किया जाता है कि आहरण/ऋण की मांगी गई राशि ..... के उपयोग के लिए अपेक्षित है, जो जीवित है और अभी तक अवयस्क है।

कृपया ऋण/आहरण की राशि _____ (लेखा कार्यालय का नाम) में मेरे बचत बैंक खाता संख्या _____ में जमा करें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/खाता प्राप्तकर्ता चैक जारी करें।

या

कृपया नकद भुगतान करें (यदि राशि ` 10,000/- से कम है, के लिए लागू)

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि आहरण/ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम के अधीन लागू सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

यथा लागू अनिवार्य दस्तावेज निम्नानुसार संलग्न हैं:-

1.

2.

तारीख:-_____ जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

कार्यालय उपयोग हेतु

भुगतान का विवरण

खाते में उपलब्ध राशि ` _____

आरंभिक अभिदान की तारीख _____

अंतिम आहरण/ऋण अनुमत करने की तारीख _____

आहरण/ऋण के लिए स्वीकृत कुल राशि ` _____(अंकों में)

(शब्दों में)_____

तारीख मुहर डाकपाल/प्रबंधक का हस्ताक्षर

निस्तारण

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाना है)

नकद/चैक/डिमांड ड्राफ्ट संख्या .....तारीख..... द्वारा

` _____(अंकों में)_____ (शब्दों में) खाता संख्या ..... में अंतरण द्वारा प्राप्त किया गया।

तारीख जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

आवरण पृष्ठ

सत्यमेव जयते

प्ररूप-4

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 18 देखें)

पास बुक

_____**(योजना का नाम)**

डाकघर/बैंक शाखा का नाम और पता	
खाता संख्या	

पृष्ठ सं.1

विवरण

लेखा कार्यालय का नाम और पता	
जमाकर्ता/जमाकर्ताओं का नाम और पता	
स्कीम का नाम	

खाता का प्रकार	एकल/संयुक्त-क/संयुक्त-ख/अवयस्क खाता
खाता संख्या	
खोलने की तारीख	
परिपक्वता की तारीख	
जन्म की तारीख (अवयस्क के खाते में या जहां आवश्यक हो)	
नामांकन रजिस्ट्रीकरण संख्या	
ग्राहक पहचान संख्या	
यदि लागू हो, प्राधिकृत एजेंट का नाम और ग्राहक खाता संख्या	

मुहर

डाकपाल/प्रबंधक का हस्ताक्षर

तारीख	संव्यवहार का विवरण	जमा	विकलन	अतिशेष	हस्ताक्षर और मुहर

आवरण पृष्ठ के पीछे

(स्कीम का मुख्य उपबंध)

प्ररूप-5

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 13 देखें)

राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन खाता स्थानांतरण के लिए आवेदन

सेवा में,
डाकपाल/प्रबंधक
.....
.....

महोदय,

मैं/हम अनुरोध करते हैं कि _____ (स्कीम का नाम) के अधीन मेरा/हमारा खाता संख्या _____ में `_____(शब्दों में) की जमाराशि/जमाशेष है जो _____ (लेखा कार्यालय का नाम) की बही में है, उसे _____(लेखा कार्यालय का नाम) की बही में स्थानांतरित किया जाए।

मूल रूप में पासबुक/जमा प्राप्ति/खाता विवरण संलग्न है।
तीन नमूना हस्ताक्षर नीचे दिए गए है:-

तारीख : ..... जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर

नमूना हस्ताक्षर जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के नाम और पता

1 .....

2 .....

3 .....

डाकपाल/प्रबंधक द्वारा प्रति हस्ताक्षर

पावती

.....के नाम पर ..... (स्कीम का नाम) खाता सं..... ..... (लेखा कार्यालय का नाम) की बही में ` ..... (रुपये .....) के स्थानांतरण के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। विवरण/पासबुक में प्रविष्टि/जमा रसीद/खाता का विवरण की जांच की गई है और इसे खाताधारक/धारकों को वापस किया जाता है।

मुहर
तारीख

डाकपाल/प्रबंधक का हस्ताक्षर .....

मुहर

लेखा कार्यालय का नाम .....

प्ररूप-6

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 4 देखें)

राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन खाता की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन

सेवा में,
डाकपाल/प्रबंधक
.....
.....

महोदय,

आपके कार्यालय में _____(स्कीम का नाम) के अधीन मेरा/हमारा खाता सं._____है। उक्त खाता _____ को खोला गया था और भुगतान के लिए _____को परिपक्व हो गया है/होगा। हम मेरे उपर्युक्त खाता अर्थात _____ को परिपक्वता की तारीख से और _____ वर्ष की अवधि तक बढ़ाने का अनुरोध करते हैं।

मैं/हम समय-समय पर यथासंशोधित उक्त स्कीम के अंतर्गत बढ़ाई गई अवधि के दौरान खाता के लिए लागू निबंधनों और शर्तों को समझ गए हैं और उनका पालन करेंगे।

तारीख जमाकर्ता/जमाकर्ताओं का हस्ताक्षर

स्थान (नाम और पता)

लेखा कार्यालय के उपयोग हेतु

खाता सं..... जो .....(स्कीम का नाम) के अधीन ..... रुपये (.....रुपये) के साथ _____को खोला गया था और ..... को परिपक्व हुआ, ... स्कीम के नियम ..... के अधीन .....से .....तक .....वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

रिकार्ड और पासबुक/जमा रसीद/खाता विवरण में आवश्यक प्रविष्टियां की गई है।

तारीख डाकपाल/प्रबंधक का हस्ताक्षर

मुहर

प्ररूप-7

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 16 देखें)

राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन खाता गिरवी रखने हेतु आवेदन

सेवा में,

डाकपाल/प्रबंधक

.....

महोदय,

मुझे/हमें ..... (राजपत्रित अधिकारी का या भारतीय रिजर्व बैंक या अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, रजिस्ट्रीकृत सहकारी समिति, निगम, सरकारी कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण का नाम) के पास प्रतिभूति के रूप में ..... रुपये की राशि जमा करने की आवश्यकता है। अत: मैं/हम आपसे .....(स्कीम का नाम) के अधीन खाता सं. .....को .....अधिकारी का सरकारी पद या शाखा का नाम आदि जिसके पास प्रतिभूति के रूप में प्रमाण पत्र गिरवी रखे जाते हैं, के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हैं।

मैं/हम सहमत हैं कि खाता/खाते का गिरवी रखने वाले के द्वारा, प्रतिभूति जब्त होने पर नकदीकरण किया जा सकता है। खाता में रजिस्ट्रीकरण सं..... द्वारा नामांकन निरस्त हो गया है।

खाता का विवरण

खाता सं.	तारीख	लेखा कार्यालय का नाम	रकम

उपर्युक्त प्राधिकारी ने गिरवी स्वीकार करने के लिए सहमति दी है। सम्यक रूप से गिरवी रखने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्वीकृति संलग्न है।

तारीख : ..... जमाकर्ता का हस्ताक्षर

पता .....

कार्यालय उपयोग हेतु

खाता सं._____ रजिस्ट्रीकरण सं.....तारीख..... द्वारा गिरवी रखा गया है और रिकॉर्ड में आवश्यक प्रविष्टियां की गई हैं। पासबुक/जमा रसीद/खाता विवरण भी गिरवी में दर्ज किए गए हैं और खाताधारक को लौटाया गया है।

डाकपाल/प्रबंधक का हस्ताक्षर

तारीख मुहर

प्ररूप-8

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 19 देखें)

राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन परिपक्वतापूर्व खाता बंद करने हेतु आवेदन

सेवा में,

डाकपाल/प्रबंधक

.....

.....

महोदय,

मैं/हम .....(स्कीम का नाम) के अधीन खोला गया मेरा/हमारा खाता सं. .....जिसमें `.....(.....रुपये मात्र) अतिशेष है, उसे बंद करना चाहता हूं/चाहते हैं और लागू शास्ति की कटौती के पश्चात नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार राशि का भुगतान करने का अनुरोध करता हूं/करते हैं:-

कृपया .....(लेखा कार्यालय का नाम) में स्थित मेरे बचत बैंक खाता सं. ..... में राशि जमा करें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/खाता में भुगतान योग्य चैक जारी करें

या

कृपया नकद भुगतान करें (यदि राशि `10,000/- से कम हो, तो लागू होगा)

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि .....(स्कीम का नाम) के अधीन परिपक्वतापूर्व खाता बंद किए जाने की शर्तों का पालन किया गया है।

यथालागू आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं।

1.

2.

तारीख:-_____ जमाकर्ता/जमाकर्ताओं का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

कार्यालय उपयोग हेतु

भुगतान का ब्यौरा

खाते में अर्हक शेष _____

शास्ति की राशि घटाकर _____

भुगतान की कुल राशि _____(अंकों में)

(शब्दों में)_____

तारीख मुहर डाकपाल/प्रबंधक का हस्ताक्षर ----------

निस्तारण

(खाताधारक/संदेशवाहक द्वारा भरा जाना है)

खाता सं.....में अंतरण द्वारा नकद/चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं.).....तारीख.....के जरिए `.....(अंकों में)

.....(शब्दों में) प्राप्त किया।

तारीख जमाकर्ता/जमाकर्ताओं का हस्ताक्षर

प्ररूप-9

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 19 देखें)

राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन खाता बंद करने हेतु आवेदन

डाकघर/बैंक का नाम_____ तारीख_____

स्कीम का नाम_____ खाता सं._____

मैं/हम तारीख _____को परिपक्व मेरा/हमारे उपर्युक्त खाता को बंद करने का अनुरोध करता हूं/करते हैं।

कृपया .....(लेखा कार्यालय का नाम) में स्थित मेरे परिपक्व बचत बैंक खाता सं. ..... में अर्हक शेष राशि जमा करें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/खाता में भुगतान योग्य चैक जारी करें

या

कृपया नकद भुगतान करें (यदि राशि `10,000/- से कम हो, तो लागू होगा)

जमाकर्ता/जमाकर्ताओं का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

भुगतान आदेश

(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

तारीख .....

भुगतान का ब्यौरा

मूल राशि `._____

(+) देय ब्याज ` _____

(-) अधिभुगतान ब्याज की वसूली `_____

घटाएं यदि कोई हो `_____

कुल देय राशि `_____

`_____(अंकों में)_____(शब्दों में) का भुगतान करें।

तारीख

डाकपाल/प्रबंधक का हस्ताक्षर

निस्तारण

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाना है)

खाता सं.....में अंतरण द्वारा नकद/चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं. .....तारीख.....के जरिए `.....(अंकों में) .....(शब्दों में) प्राप्त किया।

तारीख जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप-10

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 14 देखें)

राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन खाते में नामांकन के निरस्तीकरण या परिवर्तन हेतु आवेदन

डाकघर/बैंक का नाम.....खाता सं.....
स्कीम का नाम.....

सेवा में,

डाकपाल/प्रबंधक
.....
.....

मैं/हम .....(अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति का नाम) के जमाकर्ता/संरक्षक होने के नाते एतद्वारा नीचे नामित व्यक्ति (यों) को उक्त खाते के बंद किए जाने के पहले मेरे/हमारे अवयस्क/ विकृतचित्त व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में उपर्युक्त खाते में जमाराशि को प्राप्त करने हेतु नामित करता हूं/करते हैं।

क्र.सं.	नामांकित(नामांकितों) के नाम और संबंध	पूरा पता	नामांकित/ नामांकितों की आधार सं.	अवयस्क के मामले में नामांकित की जन्म तिथि	हकदारी का हिस्सा	हकदारी का स्वरूप न्यासी या स्वामी

चूंकि, ऊपर विनिर्दिष्ट क्र.सं. ..... पर नामांकित अवयस्क है/हैं, नामांकित (नामांकितों) के अवयस्क रहने के दौरान मेरी मृत्यु होने की दशा में उक्त खाते के अधीनदेय राशि को प्राप्त करने के लिए मैं श्री/श्रीमति/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/.....
.....पता.....
.....को नियुक्त करता हूं।

उपर्युक्त नामांकन नीचे दिए गए अनुसार प्रभावी होगा।

यह नामांकन रजिस्ट्रीकरण सं._____ तारीख_____को उक्त खाते के संबंध में किया गया पहले के नामांकन को निरस्त करता है।

या

उक्त खाते के संबंध में पहले कोई नामांकन नहीं किया गया है।

पासबुक/जमा रसीद/खाता विवरण संलग्न है।

जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

अभिसाक्षी

1. नाम
पता
हस्ताक्षर

2. नाम

पता

हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

नामांकन का रजिस्ट्रीकरण क्र.सं. _____में किया गया है।

तारीख जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप-11

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 15 देखें)

राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन नामिती/विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा मृत जमाकर्ता के खाते का निपटान करने हेतु आवेदन

सेवा में,

डाकपाल/प्रबंधक

.....

महोदय,

मैं/हम.....स्वर्गीय श्री/श्रीमती जो.....(स्कीम का नाम) के अधीन खाता सं. .....के जमाकर्ता थे, का नामिती/विधिक उत्तराधिकारी हूं/हैं, उक्त खाते में मृतक के नामे जमा समग्र राशि को आहरित करने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं। अपने दावे के समर्थन में, मैं एतदद्वारा निम्नलिखित दस्तावेज जमा करता हूँ :-

1. जमाकर्ता(ओं) का मृत्यु प्रमाणपत्र
2. जमाकर्ता(ओं) द्वारा नियुक्त नामिती(यों) श्री/श्रीमती..... का भी मृत्यु प्रमाणपत्र (***)
3. सक्षम न्यायालय..... द्वारा जारी मृत्तक जमाकर्ता के प्रमाणित इच्छापत्र की सत्यापित प्रति सहित उत्तराधिकार प्रमाणपत्र/प्रशासन के पत्र (**)
4. क्षतिपूर्ति बांड (*)
5. शपथपत्र (*)
6. शपथपत्र पर अस्वीकरण पत्र (*)
7. पासबुक/जमा रसीद/खाता विवरण

दावेदार(रों) के हस्ताक्षर/अंगूठे का छाप

पता.....

तारीख:_____

(*) रु.5 लाख तक के दावों के लिए नामांकन के अभाव में, विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(**) यदि विधिमान्य नामांकन है, तो काट दें।

(***) यदि लागू नहीं, तो काट दें।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

रु. .....(रुपए.....मात्र) स्वीकृत।

डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर

तारीख:_____

निस्तारण

[दावेदार(रों) द्वारा भरा जाए]

रु.....(अंकों में).....(शब्दों में) मेरे/हमारे दावे का पूरा निपटान होने के फलस्वरूप खाता सं.....में नकद/दिनांक.....के चेक/डिमांड ड्राफ्ट सं.....अंतरण द्वारा प्राप्त किए।

तारीख:_____

दावेदार(रों) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप-12

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 11 देखें)

नेत्रहीनता सहित शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त जमाकर्ताओं की ओर से राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन खाता खोलने/परिचालन हेतु प्राधिकार पत्र

सेवा में,
डाकपाल/प्रबंधन
.....
महोदय,

मैं/हम.....(जमाकर्ता का नाम),.....(स्कीम का नाम) के अधीन खाता सं.....के जमाकर्ता श्री/श्रीमती/सुश्री.....पत्नी/सुपुत्र/सुपुत्री.....जिस पर मैं भरोसा करता/करती हूं और जिसकी फोटो तथा हस्ताक्षर नीचे सत्यापित किया जाता है, को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उक्त खाते का संचालन करने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूं।

1.
2.
3.
4.

प्राधिकृत व्यक्ति की फ़ोटो चिपकाएं

प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर
1.
2.
3.

....
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम और पताः
तारीख:_____

प्ररूप-13

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 15 देखें)

शपथपत्र

सेवा में,
डाकपाल/प्रबंधक
.....
.....

महोदय,

मैं/हम.....स्वर्गीय.....(मृतक जमाकर्ता) का पति/पत्नी/सुपुत्र, निवासी.....घोषणा तथा निम्नवत सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि करते हैं:-

(1) कि केवल मैं/हम.....ही स्वर्गीय.....(मृतक जमाकर्ता) जिनका देहान्त.....में.....को हो गया है, का उत्तराधिकारी हूं/हैं। मैं/हम ही स्वर्गीय.....(मृतक जमाकर्ता) की संपदा का प्रतिनिधित्व करता हूं/करते हैं।

(2) कि स्वर्गीय.....(मृतक जमाकर्ता) ने कोई वसीयत नहीं की है और इसलिए मैं/हम उक्त मृतक जमाकर्ता(ओं) की संपदा के एकमात्र उत्तराधिकारी हूं/हैं।

1. .....(हस्ताक्षर)
2. .....
3. .....
4. .....

अभिसाक्षी

सत्यापनः मैं/हम, उपर्युक्त अभिसाक्षी.....(स्थान का नाम) में सत्यनिष्ठापूर्वक सत्यापित करते हैं कि इस शपथपत्र में निहित सामग्री मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और कुछ भी महत्वपूर्ण छिपाया नहीं गया है।

दिनांकः_____

1. .....(हस्ताक्षर)
2. .....
3. .....
4. .....

अभिसाक्षी
सत्यापित
शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक

प्ररूप-14

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 15 देखें)

अस्वीकृत पत्र

सेवा में,
डाकपाल/प्रबंधक
.....
.....

महोदय,

मैं/हम.....स्वर्गीय.....(मृतक जमाकर्ता) का पति/पत्नी/सुपुत्र/सुपुत्री, निवासी..... घोषणा और निम्नवत सत्यानिष्ठापूर्वक पुष्टि करता हूँ/करते हैं :-

(1) कि स्वर्गीय.....(मृतक जमाकर्ता).....को वसीयत किए बिना केवल मुझे/हमें उनके उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ कर मृतक हो गए।

(2) कि मैं/हम.....स्वर्गीय.....(मृतक जमाकर्ता) के उत्तराधिकारी अपने लिए तथा हमारे उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशियों की ओर से स्वर्गीय.....(मृतक) के उत्तराधिकारियों को देय रु.....अतिशेष रकम पर अपना दावा त्यागते हैं, जिसे मेरे/हमारे.....(संबंध बताएं) श्री/श्रीमती/सुश्री.....(दावेदार), द्वारा वांछित खाते में जमा कर दिया जाए। हमें ऊपर संदर्भित खाता सं.....में जमा शेष राशि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान बैंक द्वारा उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री.....(दावेदार) को किए जाने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

1. .....(हस्ताक्षर)
2. .....

3. .....

अभिसाक्षी

सत्यापनः मैं/हम, उपर्युक्त अभिसाक्षी सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि करते हुए सत्यापित करते हैं कि इस शपथपत्र में निहित सामग्री मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है।

तारीख:_____

अभिसाक्षी

मैं अभिसाक्षी(यों) को पहचानता हूं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं और जिन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए हैं।

तारीख:_____

सत्यापित

शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक

प्ररूप-15

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 15 देखें)

क्षतिपूर्ति पत्र

सेवा में,

डाकपाल/प्रबंधक

.....

.....

महोदय,

प्रशासन के पत्रों अथवा मृतक.....(अंशदाता का नाम) की संपदा का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा संपदा शुल्क नियंत्रक द्वारा इस बाबत प्रमाणपत्र कि संपदा शुल्क का भुगतान कर दिया गया है अथवा कर दिया जाएगा अथवा कोई राशि देय नहीं है, को प्रस्तुत किए बगैर.....के नाम में आपके.....(लेखा कार्यालय का नाम) के पास.....(स्कीम का नाम) में खाता सं.....में जमा रु.....की राशि मुझे/हमें .....(विधिक उत्तराधिकारी(यों) के नाम) अदा करने अथवा अदा करने के लिए सहमत होने के प्रतिफल में, मैं/हम.....तथा हम.....(प्रतिभू) सभी दावों, मांग, कार्यवाहियों, हानि, नुकसान, प्रभारों तथा खर्चे जो हुए हों अथवा यथा उपर्युक्त मुझे/हमें भुगतान करने अथवा भुगतान करने के लिए सहमत होने के कारण अथवा परिणामस्वरूप आपके द्वारा किए गए हों, के एवज में स्वयं और अपने उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों, निष्पादकों तथा प्रशासकों की तरफ से संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक आपको तथा आपके उत्तराधिकारियों, और समनुदेशितियों को क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं।

जिसकी गवाही के लिए अभिसाक्षियों की उपस्थिति में.....में वर्ष.....के .....दिन इसके लिए हस्ताक्षर किए।

मृतक के उपरिलिखित उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर सुपुर्द किया गया

उपरिलिखित प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर कर सुपुर्द किया गया

1. .....
2. .....

अभिसाक्षियों के हस्ताक्षर, नाम व पतेः

1. .....
2. .....

सत्यापित

नोटरी पब्लिक